भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1180

(शुक्रवार, 9 फरवरी, 2018/20 माघ, 1939 (शक) को दिया गया)

सीएसआर निधि की सामाजिक संपरीक्षा

1180. श्री देवजी एम. पटेलः
श्री ए.टी. नाना पाटीलः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामाजिक संपरीक्षा के अभाव में, सरकारी तथा निजी कंपनियों के लिए सीएसआर के लिए विनिर्धारित निधि का दुरुपयोग करना आसान हो गया है;
(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का यह सुनिश्चित करने का विचार है कि उक्त निधि का 80 प्रतिशत पंचायतों, विद्यालयों, अस्पतालों जैसी सरकारी संस्थाओं तथा अन्य स्तरीय संस्थाओं के माध्यम से व्यय किया जाए और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार का सभी सरकारी तथा निजी क्षेत्र की कंपनियों की सीएसआर निधि का संपूर्ण ब्यौरा निर्धारित सीएसआर राशि, व्यय तथा वेबसाइट पर संस्थानों के नाम प्रदर्शित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या सरकार का उक्त वेबसाइट पर एनजीओ के चयन के मानदंड तथा रेटिंग भी प्रदर्शित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विधि और न्याय एवं कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. पी. चौधरी)

(क) से (ग) : कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 135 (3) और (4) कंपनी बोर्ड और इसकी सीएसआर समिति को किए जाने वाले कार्यक्रमों/परियोजनाओं/कार्यकलापों के चयन, ऐसे कार्यकलापों के लिए सीएसआर निधियों के आबंटन और उपयोग, कार्यान्वयन एजेंसियों (यदि कोई हैं तो) के चयन और उनकी निगरानी का अधिकार देती है। अधिनियम की धारा 134(3)(ण) के साथ पठित धारा 135(5) में बोर्ड को अपनी रिपोर्ट में कंपनी द्वारा निर्धारित की गई निधियों, किए गए व्यय, नियुक्त की गई कार्यान्वयन एजेंसियों आदि जैसे विवरणों सहित तैयार और कार्यान्वित की गई सीएसआर नीति के प्रकटीकरण का प्रावधान है। इस अधिनियम के तहत कंपनी के वार्षिक वित्तीय विवरण में दिए गए ब्यौरों को कंपनी के लेखा परीक्षक द्वारा लेखापरीक्षित किया जाना अपेक्षित है।

सीएसआर निधियों के उपयोग के संबंध में पारदर्शिता और जबावदेही सुनिश्चित करने के लिए, कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने एमसीए21 रजिस्ट्री में कंपनियों द्वारा किए गए प्रकटीकरण को दर्शाते हुए नेशनल सीएसआर डाटा पोर्टल (www.csr.gov.in) प्रारंभ किया है।

(घ) : ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

*****